

न्यायालय:- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के न्यायालय के  
अतिरिक्त न्यायाधीश, अशोकनगर, (म.प्र.)  
 (समक्ष – सैफी दाऊदी)

सिविल अपील क. 02ए/17  
संस्थित दिनांक 22.02.17

1. दिलीप सिंह पत्रु समरथ सिंह, आयु 70 वर्ष,  
जाति लोधी
2. दिमान सिंह पुत्र समरथ सिंह, आयु 60 वर्ष,  
जाति लोधी
3. मोहन सिंह पुत्र समरथ सिंह, आयु 72 वर्ष,  
जाति लोधी, निवासीगण ग्राम मोहरी तहसील  
चंदेरी जिला अशोकनगर, म. प्र.

----- अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

**विरुद्ध**

1. तोफान सिंह पुत्र जयराम सिंह आयु 50 वर्ष,  
जाति लोधी, निवासी छैघरा कालोनी वार्ड क्रमांक  
22 अशोकनगर जिला अशोकनगर म.प्र.

प्रत्यर्थी/वादी

2. म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर महोदय, अशोकनगर

तरतीवी प्रत्यर्थी

---

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा	:-	श्री जाफरी अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्र.1 द्वारा	:-	श्री पठान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क्रमांक 2	:-	वाद तामील अनुपस्थित।

---

**-:: निर्णय ::-**

(आज दिनांक ..... को पारित किया गया)

1. अपीलार्थीगण, (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिवादीगण संबोधित किया

जायेगा) ने वर्तमान अपील प्रत्यर्थी क्रमांक 1 (जिसे इसमें इसके पश्चात् वादी संबोधित किया जायेगा) के विरुद्ध न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 चंदेरी श्री जफर इकवाल द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 75ए/16 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.02.17 से असंतुष्ट होकर अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के अधीन प्रस्तुत की है, जिस निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी तोफान सिंह द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के अभिवचन इस प्रकार रहै हैं कि, वादी ने प्रतिवादीगण क्रमांक 1 लगायत 3 के विरुद्ध प्रार्थित अनुतोष के संबंध में तथा प्रतिवादी क्रमांक 4 को औपचारिक प्रतिवादी होना अभिवाचित कर मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध कोई अनुतोष प्रार्थित नहीं करना अभिवाचित कर यह तथ्य वाद पत्र में अभिवाचित किये हैं कि ग्राम मनहारी तहसील चंदेरी स्थित सर्वे क्रमांक 24 रकवा 2.006 हे. सर्वे क्रमांक 25 रकवा 0.188 हे. व सर्वे क्रमांक 28 रकवा 0.679 हे. राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 अर्थात् दिलीप सिंह लगायत मोहन सिंह के नाम अंकित होकर वादग्रस्त भूमि है। इस भूमि आधे भाग के स्वामी वादी तोफान सिंह तथा समरथ थे व शेष अन्य भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं 2 स्वामी थे। समरथ की मृत्यु पश्चात् वादग्रस्त भूमि के आधे भाग में से आधे भाग पर समरथ के उत्तराधिकारी प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 का नाम अंकित होना चाहिए था तथा 1/4 भाग पर वादी का नाम अंकित रहना चाहिए था। समरथ की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पटवारी ने सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का नाम विलोपित कर संपूर्ण वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के नाम अंकित कर दी। वादी का नाम कब राजस्व रिकार्ड में से विलोपित हुआ इसका ज्ञान वादी को नहीं है।

4. वादी अशोकनगर में निवास करता है। वादग्रस्त भूमि पर जाकर कृषि करता है, जो सम्मिलित खाते की भूमि है। उभयपक्ष एक ही परिवार के व्यक्ति हैं, जिससे वादी को विश्वास था कि वादग्रस्त भूमि में उसका नाम अंकित होगा, किन्तु दिनांक 27.11.13 को प्रतिवादीगण क्रमांक 1 लगायत 3 ने वादी से कहा कि वे अब वादग्रस्त भूमि के मालिक हैं और उसे कृषि नहीं करने देंगे। तब दिनांक 28.11.13 को वादी ने तहसील चंदेरी से वादग्रस्त भूमि की खतौनी की नकल तथा रिकार्ड शाखा अशोकनगर से राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त की तो वादी को ज्ञान हुआ कि उन्होंने वादग्रस्त भूमि उनके नाम करा ली है।

5. वादग्रस्त भूमि पर से प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 वादी का कब्जा हटाने के प्रयास में है। प्रतिवादी क्रमांक 4 मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध कोई सहायता प्रार्थिन नहीं करना उसे औपचारिक पक्षकार बनाना व वाद मूल्यांकन, न्याय शुल्क तथा क्षेत्राधिकार के संबंध में अभिवचन कर प्रार्थित अनुतोष के संबंध में जयपत्र वादी के हित में पारित किये जाने की प्रार्थना विचारण न्यायालय से की गयी थी।

6. प्रतिवादी क्रमांक 1,2,3 ने वाद का लिखित जवाब प्रस्तुत कर यह विरोध अभिवाचित किया है कि ग्राम मनहारी तहसील चंदेरी स्थित वादग्रस्त भूमियों के भूमिस्वामी रिकार्ड अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 होना स्वीकार अभिवाचित करते हुए इन भूमियों से वादी का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 वादग्रस्त भूमियों पर लगभग 36 साल से अधिक सालों से काबिज होकर काश्त कर रहे होना तथा वादी द्वारा मिथ्या आधारों पर प्रतिवादीगण क्रमांक 1 लगायत 3 के स्वत्व व आधिपत्य की भूमियों को हड़पने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

7. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 समर्थ के उत्तराधिकारी हैं वादी जिस वादग्रस्त भूमि का स्वामी था उस पर वादी ने कभी खेती नहीं की तथा वादी ने अपने हक का त्याग प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के हित में रुपये लेकर उनके नाम करा दी थी तथा वादी गत 24 वर्ष से अशोकनगर निवास कर रहा है तथा वादी ने अपने हक का त्याग करने के उपरांत कभी भी आपत्ति नहीं की, किन्तु अब भूमि की कीमतें बढ़ने के कारण वादी के मन में बदनियति आ गयी है।

8. वादी ने विगत 36 सालों में कभी भी वादग्रस्त भूमि पर खेती नहीं की है। वादी द्वारा अपने हक का त्याग करने के उपरांत से ही प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 तब से वादग्रस्त भूमि पर खेती करते चले आ रहे हैं। इतनी लंबी अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी वादी द्वारा न ही राजस्व दस्तावेजों की नकलें प्राप्त की एवं वादग्रस्त भूमि की लगान अदा नहीं की।

9. वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के नाम स्वेच्छया एवं सहमति से भूमि स्वामी के रूप में अंकित कराई है। वादी द्वारा अपनी समस्त भूमियों की स्पष्ट जानकारी देनी थी, जिसके अभाव में वाद चलने योग्य नहीं है। वादी इस वाद में सहमति नामांतरण को निरस्त कराना चाहता है इस कारण मध्य प्रदेश राज्य आवश्यक पक्षकार नहीं है। वादी को दिनांक 28.11.13 को ग्राम मनहारीचक में प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के विरुद्ध कोई भी वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है और वाद को अवधि अंतर्गत लाने के लिए मिथ्या वादकारण लेख कराया है जबकि वाद अवधि बाह्य है। वाद मूलतः राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ति से संबंधित है।

10. प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से विशेष आपत्तियां अभिवाचित करते हुए वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 का नाम भूमिस्वामी के रूप में कब और किस तारीख को किस आदेश से अंकित हुआ है इसकी नकल प्रस्तुत नहीं है और प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 विगत 36 वर्षों से अधिक समय से भूमि स्वामी की हैसियत में वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर कृषि कर रहे हैं और विगत 24 वर्षों से राजस्व रिकार्ड में उनका नाम भूमि स्वामी हैसियत में दर्ज है। वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के नाम होने के 24 वर्ष उपरांत वाद प्रस्तुत किया है जो अवधि वर्जित है। वादी राजस्व रिकार्ड में संशोधन चाहता है जिसकी अधिकारिता राजस्व न्यायालय को

है। सिविल न्यायालय को वाद श्रवण की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। अतः वादी की ओर से प्रस्तुत वाद साव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना विद्वान विचारण न्यायालय से की थी।

11. इस प्रक्रम पर न्यायालय के समक्ष यह अवधारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि —

1. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.02.17 के अवधारण हेतु दिया गया निष्कर्ष विधि अनुकूल नहीं होकर अपास्त किये जाने योग्य है ? ( यदि हां तो)
2. सहायता एवं व्यय ?

**—: साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष :—**

**अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :—**

12. अपील के प्रक्रम पर अपीलार्थीगण दिलीप, दीमान एवं मोहन सिंह ने एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अपील निराकरण तक विचारण न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 75ए/16 ई.दी. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.02.16 का निष्पादन स्थगित किया जाये।

13. उक्त आवेदन पत्र का लिखित उत्तर वादी तोफान सिंह की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि तहसीलदार पिपरई ने अपीलार्थी को विधिवत सूचना देकर तथा सुनवाई का अवसर देकर विचारण न्यायालय के जयपत्र का क्रियान्वयन कर दिया है और वादग्रस्त भूमि अब राजस्व रिकार्ड में तोफान सिंह के नाम अंकित है। इस प्रकार जयपत्र का निष्पादन होना अवशेष नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वमेव ही शून्य हो गया है।

14. चूंकि प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल अपील का ही निराकरण वर्तमान निर्णय द्वारा हो रहा है तथा वर्तमान निर्णय के अनुसरण में ही डिक्री की विरचना होना है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित जयपत्र के निष्पादन को स्थगित किये जाने हेतु कोई आधार पर विद्यमान नहीं है। द्वितीयतः जहां कि स्वयं प्रत्यर्थी के अभिवचनानुसार जयपत्र का निष्पादन किया जाना अब अवशेष ही नहीं रहा है, वहां भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं जयपत्र के निष्पादन को स्थगित किये जाने का विधि संमत आधार नहीं होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 41 नियम 5 सीपीसी निष्फल होने से नामंजूर किया जाता है।

15. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने प्रतिवादीगण क्रमांक 1 लगायत 3 के विरुद्ध अंतिम अनुतोष प्रार्थित कर मध्य प्रदेश राज्य अर्थात् प्रतिवादी

क्रमांक 4 को औपचारिक पक्षकार के रूप में संयोजित कर प्रस्तुत किये गये वाद के समर्थन में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 10 के राजस्व दस्तावेज खसरा संबत 2032, 2046 आदि के दस्तावेजों पर अपना अवलंबन व्यक्त करते हुए स्वयं का परीक्षण न्यायालय में अंकित कराया एवं अपने समर्थन में साक्षीगण गजराज सिंह वा.सा.2, धर्मवीर वा.सा.3 का परीक्षण अंकित कराया है। वादी ने राजधर सिंह को प्रतिपरीक्षण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

16. प्रतिवादी दिलीप सिंह ने स्वयं को न्यायालय के समक्ष परीक्षण कराते हुए प्रतिवादी साक्षीगण कंछेदी प्रति.सा.1 एवं कैलाश प्रति.सा.2 का कथन विचारण न्यायालय में अंकित कराया है। वादी तोफान सिंह वा.सा.1 अपने मुख्य परीक्षण में समरथ सिंह व जयराम सिंह को सगे भाई होना अभिकथित कर स्वयं को जयराम सिंह का एकमात्र पुत्र एवं उत्तराधिकारी होना अभिकथित कर प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 को समरथ सिंह के पुत्र एवं उत्तराधिकारी होना कथित कर यह तथ्य भी प्रकट करता है कि वादग्रस्त भूमि 13 बीघा क्षेत्रफल की रही, जिसमें आधा भाग समरथ सिंह व आधा भाग उसके पिता जयराम सिंह का था। जयराम सिंह की मृत्यु के बाद 1/4 भाग पर उसका नामांतरण शासकीय दस्तावेजों में अंकित है। समरथ की मृत्यु के पश्चात् उसके भाग पर प्रतिवादीगण तथा समरथ सिंह पत्नि कंचनिया का नामांतरण हुआ था। उसकी मृत्यु होने के उपरांत प्रतिवादीगण की उस भूमि के मालिक हुए। वादी मजदूरी करने के उद्देश्य से अशोकनगर में निवासरत रहकर ग्राम मनहारी जाकर अपनी भूमि में कृषि करवाता था और वादग्रस्त भूमि पर आता जाता था। वादी ग्राम मोहरी में भी अपनी भूमि पर आना जाना कथित करता है।

17. वादी लगभग पौने दो वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि उनकी होना कथित करते हुए घटना के दूसरे ही दिन चंदेरी तहसील से कम्प्यूटर की नकल निकवाने पर भूमि पर उसका नाम अंकित नहीं होने का तथ्य उसकी जानकारी में आना कथित करता है। वादी वादग्रस्त भूमि पर स्वयं को आधिपत्यधारी होना अपने कथन में अभिकथित करता है। साक्षीगण गजराज सिंह वा.सा.2 एवं धर्मवीर वा.सा.3 वादग्रस्त भूमि के 1/4 भाग पर वादी तोफान सिंह को आधिपत्यधारी होकर कृषि कार्य करना अपने कथन में अभिकथित कर वादी के कथन के अनुरूप कथन अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करते हैं, जबकि इसके विपरीत प्रतिवादी दिलीप सिंह प्रति.सा.1 अपने मुख्य परीक्षण में यह तथ्य कथित करता है कि वादी तोफान सिंह का 13 बीघा भूमि में 1/2 भाग नहीं था 1/4 भाग था और तोफान सिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि का स्वत्व त्याग करने के बाद से ही वर्ष 1991 से ही तोफान सिंह के हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है और वे ही लगान अदा कर रहे हैं।

18. तोफान सिंह विगत 37 वर्षों से अशोकनगर में निवास कर रहा है उसने कभी खेती नहीं की। तोफान सिंह ने प्रतिवादीगण से पैसे लेकर प्रतिवादीगण के हित में वादग्रस्त भूमि के हक का त्याग करते हुए स्वयं के हिस्से की भूमि को

प्रतिवादीगण के नाम लगभग 25 वर्ष पूर्व ही करा दिया था। वादी तोफान सिंह तीन वर्ष कभी भी मनहारी की भूमि पर नहीं गया और न ही प्रतिवादीगण से उसकी कोई बातचीत हुई। प्रतिवादीगण के नाम वादग्रस्त भूमि करवाने के 25 साल उपरांत गलत आधारों पर वाद प्रस्तुत करना और भूमि की कीमतें बढ़ने से तोफान सिंह की नियत खराब होना और प्रतिवादीगण के नाम भूमि होने की जानकारी वर्ष 1991 से ही वादी को होना प्रतिवादी अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करता है और 30 वर्ष से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा देखे जाने का अभिकथन साक्षीगण कंछेदी प्रति.सा.1 एवं कैलाश प्रति.सा.2 अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित करते हैं।

19. अपीलार्थीगण दिलीप सिंह आदि की ओर से अपना अवलंबन उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस पर तथा उनकी ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों पर अवलंबित किया गया है जबकि प्रत्यर्थी तोफान सिंह ने अपना अवलंबन उसकी ओर से प्रस्तुत लिखित अंतिम तर्क पर अवलंबित किया है।

20. वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 1 खसरा संबत 2032 लगायत 2036 यह प्रकट करता है कि सर्वे क्रमांक 24 रकवा 2.006 हे. के संबंध में यह भूमि समरथ सिंह, मोती, तोफान पुत्र जयराम के हिस्से 1/2 व गयाबाई, भग्गोबाई पुत्री ..... के 2/2 नाम पर अंकित है तथा खसरा संबत 2037 लगायत 2049 इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है कि इस रकवे में समरथ, मोती, तोफान व जयराम का हिस्सा 1/2 व गयाबाई तथा मंगोबाई जो कि परम की पुत्रियां हैं, उनका हिस्सा 1/2 है। अर्थात् मंगूबाई व गयाबाई का 1/2 हिस्सा 2.006 हे. कुल क्षेत्रफल में से कम किये जाने पर यह हिस्सा 1.003 हे. ही बचेगा और इस बचे हुए हिस्से में समरथ पुत्र मोती व तोफान पुत्र मोती आधे आधे हिस्से के स्वामी हैं। अर्थात् 1.003 हे. का बचा हुआ यह रकवा पुनः दो भागों में बटकर इनमें से आधा क्षेत्रफल समरथ सिंह को व आधा बचा हुआ क्षेत्रफल वादी तोफान सिंह को प्राप्त होना उक्त दस्तावेज के अवलोकन से प्रकट हो रहा है।

21. सर्वे क्रमांक 24 एवं 25 के संबंध में खसरा संबत 2044 लगायत 2046 का अवलोकन किये जाने पर सर्वे क्रमांक 25 की 0.188 हे. भूमि के संबंध में पुनः वही स्थिति अर्थात् समरथ पुत्र मोती सिंह, तोफान पुत्र जयराम का आधा हिस्सा और उसके पश्चात् आधे हिस्से में दलोप सिंह, दीमान सिंह आदि हिस्सेदार होना सर्वे क्रमांक 24 के संबंध में की गयी इन्ट्री से प्रकट है और सर्वे क्रमांक 28 की भूमि की स्थिति भी ठीक उसी जैसी है। अर्थात् उक्त दस्तावेज राजस्व दस्तावेज होकर उनके सत्य होने की उपधारणा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 117 के प्रावधानान्तर्गत तब तक की जायेगी, जब तक उसके प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता।

22. पूर्ववर्ती राजस्व दस्तावेज वादग्रस्त भूमि के संबंध में तोफान सिंह

का नाम धारित करते हैं। जबकि पश्चातवर्ती राजस्व दस्तावेज खसरा पांचसाला में प्रतिवादीगण का नाम अंकित होना प्रकट हो रहा है। प्रतिवादीगण ने जिस किस्तबंदी खतौनी आदि को आदेश 41 नियम 5 सीपीसी के उत्तर सहित सूचीबद्ध दस्तावेज के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत किया है, वह मात्र वर्ष 2016-17 की ही प्रतियां हैं। प्रतिवादीगण ने स्वयं का नाम वादग्रस्त भूमि पर होने के संबंध में निरंतर स्वयं का नाम धारित करने वाले राजस्व दस्तावेजों को अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है।

23. राजस्व दस्तावेज **मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959** के प्रावधानांतर्गत निर्मित ऐसे दस्तावेज होते हैं, जो किसी कृषि भूमि पर राजस्व को अदा करने वाले व्यक्ति को चिन्हित करते हैं और ऐसे दस्तावेज न तो स्वत्व अंतरण के दस्तावेज होते हैं और न ही इन दस्तावेजों से उस राजस्व दस्तावेज में नामित व्यक्ति को कोई स्वत्व अंतरण ही होता है। किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में **संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानांतर्गत धारा 54 में परिभाषित विक्रय या इसी अधिनियम की धारा 118 में परिभाषित विनिमय या धारा 122 में परिभाषित दान संपत्ति का अंतरण का विधिक स्रोत है और उक्त प्रकार का अंतरण भी लिखित दस्तावेज द्वारा ही और जहां संपत्ति का मूल्य 100 रुपये या उससे अधिक है तो विक्रय या विनिमय की दशा में रजिस्टर्ड विलेख द्वारा और दान की दशा में यदि ऐसा दान प्राकृतिक स्नेह या प्रेम के अधीन किया गया है तब अनरजिस्टर्ड विलेख द्वारा अथवा उक्त परिस्थिति विद्यमान नहीं होने से किसी हिंदू धर्मानुयायी होने की दशा में रजिस्टर्ड विलेख द्वारा ही किया जा सकता है।**

24. जहां कि हक का त्यजन किया जाना किसी अधिकार को समनुदेशित, परिसीमित, निर्वापित या घोषित या सृष्ट करें, तब **भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 1(10)** में परिभाषित हस्तांतरण की कोटि में यह अंतरण समाहित होगा और इस पर इसी अधिनियम की अनुसूची 1(क) के संख्या 23 में हस्तांतरण पर देय स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा और यह अंतरण स्वमेव **रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(ख) (ग)** के प्रावधान के आलोक में लिखित दस्तावेज के रूप में होकर उसे रजिस्टर्ड कराना भी आवश्यक होगा, अन्यथा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज पर भी ऐसा हक त्यजन किया जाना **इसी अधिनियम की धारा 49 (क)** की वर्जनानुसार स्थावर संपत्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

25. प्रतिवादीगण द्वारा अभिकथित पैसा लेकर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के हित में हक त्यजन किये जाने का अभिवचन एवं अभिकथन उक्त विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ऐसा कोई लिखित दस्तावेज प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत ही नहीं किया गया है और प्रतिवादीगण का ऐसा अभिवचन और अभिकथन **भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 1(15)** में परिभाषित विभाजन की लिखत में भी सम्मिलित होने वाला सम्यवहार होना उस दशा में प्रकट नहीं होता, जहां कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में वादी तथा प्रतिवादीगण के मध्य कोई

विभाजन पूर्व में होना और इस विभाजन के समय इसी अधिनियम की धारा 1(24) में परिभाषित व्यवस्थापन के अधीन उस विभाजन के संबंध में किसी लिखित करार को किया जाना ही प्रतिवादीगण ने दर्शित नहीं किया है, वहां उक्त संव्यवहार धारा 1(15) एवं 1(24) में समाहित होने वाला संव्यवहार नहीं होकर हस्तांतरण का संव्यवहार होने से और उस हस्तांतरण के संबंध में कोई युक्तियुक्त साक्ष्य रजिस्टर्ड लिखत के रूप में प्रस्तुत नहीं करने से मात्र खसरा इन्ट्री के आधार पर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हो जाता और जहां कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के मध्य कोई विभाजन हो जाना और उनका अपने विभाजित अंश पर काबिज हो जाना दर्शित ही नहीं किया है, वहां विधि की सुस्थापित प्रतिपादनानुसार वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच पर ऐसे विभाजन के अभाव में प्रत्येक सह स्वामी का स्वामित्व एवं आधिपत्य होना माना जायेगा।

26. उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त स्वत्व अंतरण अन्य स्त्रोत उत्तराधिकार द्वारा या परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 64, 65 में अनुद्यात प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर सक्षम न्यायालय की डिक्री प्राप्त करने के द्वारा या वैध नीलाम द्वारा या पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के प्रावधानान्तर्गत उन्हें प्राप्त उत्तराधिकार नियमों द्वारा या वैध वसीयत द्वारा ही हो सकता है और इनमें से प्रतिवादीगण को स्वत्व अंतरण बाबत कोई भी ऐसा तथ्य लागू होना उनके अभिवचन एवं अभिकथन के आलोक में प्रकट नहीं हो रहा, जिससे उन्हें इनमें से किसी विधि द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में वादी के हिस्से की भूमि का स्वत्व अंतरण हो गया हो। अर्थात् वादग्रस्त भूमि में वादी का हिस्सा प्रतिवादीगण को स्वत्व अंतरण होने बाबत कोई भी विधि द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रतिवादीगण की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत ही नहीं है, वहां मात्र खसरा इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि में वादी का स्वत्व समाप्त नहीं हो जाता और मात्र खसरा इन्ट्री के आधार पर प्रतिवादीगण को वादी की भूमि हेतु स्वामी नाते कोई हक प्राप्त नहीं होते।

27. राजस्व दस्तावेजों में वादी तोफान सिंह का नाम निरंतरता में अंकित होना उसकी ओर से प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज प्रदर्श पी 1 लगायत पी 10 के खसरा व किस्तबंदी खतौनी आदि दस्तावेजों से प्रकट है।

28. प्रतिवादी दिलीप सिंह यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 2 में यह तथ्य प्रकट करता है कि तोफान सिंह 37 वर्षों से अशोकनगर में निवासरत है। उसने कभी खेती नहीं की। तोफान सिंह ने वादग्रस्त भूमि का हक त्याग दिलीप सिंह और उसके भाईयों के हित में पैसे लेकर 25 वर्ष पूर्व ही कर दिया था और अपनी भूमि प्रतिवादीगण के नाम करा दी थी। अपने उक्त अभिकथन के समर्थन में प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई विलेख अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट हो सके कि तोफान सिंह ने प्रतिवादीगण के हित में स्वयं के 1/4 अंश भाग को वादग्रस्त भूमि के



संबंध में प्रतिवादीगण को हक त्यागन द्वारा स्वत्व अंतरित एवं नामांतरित कर दिया था।

29. किसी स्थावर भूमि पर हक त्याग के संबंध में विधि **रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 2(10) में परिभाषित** हस्तांतरण पत्र तथा 2(14) में परिभाषित लिखत तथा 2(15) में परिभाषित विभाजन की लिखत की परिधि में जांची जाने वाली एवं तौली जाने वाली विधि के रूप में लागू होती है। जहां प्रतिवादीगण पैसे लेकर तोफान सिंह द्वारा उनके हित में हक त्याग करने का अभिकथन करते हैं वहां ऐसा संव्यवहार स्वयं में ही **स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 2(10) में परिभाषित हस्तांतरण पत्र तथा 2(14) में परिभाषित लिखत से शासित** होने वाला संव्यवहार है और यह संव्यवहार **इसी अधिनियम की अनुसूची 1'क' के सरल क्रमांक 23 अनुसार** स्टाम्प शुल्क अदा किये जाने के दायित्वाधीन लिखत के रूप में किया जाने वाला संव्यवहार ही होगा और तत्पश्चात् इस संव्यवहार पर **रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 ख, ग** के प्रावधान इसे शासित करेंगे और ऐसी लिखत का रजिस्ट्रीकरण कराया जाना स्वमेव अनिवार्य होगा और यदि ऐसा कोई रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया गया है तब **इसी अधिनियम की धारा 49** के अनुसार रजिस्ट्रीकरण कराये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण नहीं कराये जाने पर व उसमें समाविष्ट स्थावर संपत्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।

30. उक्त उपबंध विलेख के रूप में अभिलिखित दस्तावेज को लागू होकर उसे रजिस्टर्ड कराये जाने की अपेक्षा एवं अनिवार्यता को अधिनियमित करते हैं, किन्तु वर्तमान प्रकरण में तो प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई **अरजिस्टर्ड विलेख** भी इस तथ्य को प्रकट करने हेतु अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है। चाहे सादे कागज पर ही सही पर वादी ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में पैसा लेकर प्रतिवादीगण के हक में हक त्याग करते हुए वह सादा कागज लिख दिया था, तब मात्र के मौखिक अभिकथन के आधार पर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी द्वारा पैसा लेकर प्रतिवादीगण के हित में हक त्याग करने का तथ्य अभिलेखगत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता।

31. जहां तक वादग्रस्त भूमि में वादी के 1/4 अंश भाग विद्यमान होने के तथ्य के संबंध में अपील ज्ञापन में प्रतिवादीगण द्वारा उठाये गये आक्षेप का प्रश्न है, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी 1 लगायत 10 में सर्वे क्रमांक 24 का इन्द्राज यह तथ्य प्रकट करता है कि उक्त भूमि में रकवा 2.006 हे. हेतु इस कुल क्षेत्रफल का आधा भाग समरथ सिंह एवं वादी तोफान सिंह को तथा शेष बचा हुए आधा भाग गयाबाई, भग्गोबाई को इन्द्राज किया गया है। अर्थात् भग्गोबाई, गयाबाई को आधा भाग जाने के पश्चात् बचा हुआ आधा भाग में आधा अर्थात् कुल रकवे का 1/4 समरथ सिंह को और 1/4 वादी तोफान सिंह को नाम इन्द्राज किया गया है ऐसी स्थिति में जहां वादी ने वादग्रस्त भूमि के कुल रकवे में से स्वयं को 1/4 अंश का अधिकारी होने का अभिवचन किया है वह विधि विपरीत अभिवचन नहीं है और विचारण न्यायालय ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर

वादी को वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादप्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण करते हुए स्वत्वाधिकारी होना साक्ष्य मूल्यांकित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि कारित होना प्रकट नहीं होता। अस्तु इस संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से उठाये गये आक्षेपों का कोई मोल नहीं रह जाता है और उक्त तथ्यों के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष में हस्तक्षेप किये जाने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता।

32. जहां तक वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से का त्यजन प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के हित में किये जाने के तथ्य का प्रश्न है, पूर्ववर्ती साक्ष्य मूल्यांकन एवं विवेचना में यह तथ्य उद्भूत हुआ है कि प्रतिवादीगण की ओर से रजिस्टर्ड अथवा अरजिस्टर्ड विलेख के रूपमें ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जो इस तथ्य को प्रकट करे कि वादी तोफान सिंह ने पैसा लेकर प्रतिवादीगण के हित में वादग्रस्त भूमि में मौजूद स्वयं के हक को त्यजन कर दिया था, वहां ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 2 का निराकरण जहां नकारात्मक रूप में निष्कर्षित किया है, उसमें कोई विधिक त्रुटि होना प्रकट नहीं होता।

33. जहां तक प्रश्नगत वाद के अवधि बाह्य होने के तथ्य का प्रश्न है, विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य को नकारात्मक रूप में निष्कर्षित कर प्रस्तुत वाद को विहित समयावधि में प्रस्तुत वाद अवधारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादी तथा प्रतिवादी एवं उनकी ओर से परीक्षण कराये गये साक्षीगण के कथन के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का आधिपत्य होने के संबंध में अपने-अपने समर्थन में एक-दूसरे के विपरीत अभिकथन करते हैं। वाद प्रमाणन का भार यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101 के प्रावधानान्तर्गत वादी पर होता है, उक्त विधिक प्रावधान के आलोक में यद्यपि वादी प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रतिवादी भी विधि की व्यवस्थाओं के विपरीत जाकर वादी द्वारा उसका वाद प्रमाणन करने की विफलता के आधार पर विधि को परास्त कर दे।

34. वादी तोफान सिंह विचारण न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये कथन के प्रतिपरीक्षण में यद्यपि कंडिका 11 के अभिकथन में यह प्रकट करता है कि उसने विवादित भूमि का कभी लगान नहीं दिया और विवादित भूमि वह ठेके पर प्रतिवादीगण को देता था आठ साल पहले से उसने प्रतिवादीगण को ठेके पर भूमि दी है। प्रतिवादीगण उसे पांच-छ विंटल गेहूं और दस पसेरी चना देते हैं। कंडिका 12 में अभिकथन स्वीकारोक्ति द्वारा करता है कि उसने आठ दस साल से स्वयं विवादित भूमि पर खेती नहीं की, किन्तु कंडिका 14 में इसके विपरीत अभिकथन करता है कि वह विवादित भूमि के 13 बीघा पर खेती कर रहा है, विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण खेती कर रहे हैं।

35. प्रतिवादीगण 13 वीघा पर शुरू से खेती कर रहे हैं। अर्थात् वादी का उक्त अभिकथन वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के भौतिक नियंत्रण द्वारा आधिपत्य को प्रकट करने वाला अभिकथन है, जबकि उसकी ओर से परीक्षण कराये गये साक्षीगण गजराज सिंह वा.सा.2, व धर्मवीर सेट्टी वा.सा.3 के प्रतिपरीक्षण से प्रकट होता है कि साक्षी गजराम वादग्रस्त भूमि पर कभी गया ही नहीं और साक्षी धर्मवीर वासा.3 के कथनानुसार जब से प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 के नाम है तब वे ही अर्थात् प्रतिवादीगण ही विवादित भूमि पर खेती कर रहे हैं।

36. साक्षीगण के उक्त अभिकथन भी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के आधिपत्य को प्रकट करने वाले अभिकथन हैं, किन्तु जहां प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 ने अपने पिता समरथ सिंह तथा प्रतिवादी के पिता जयराम की मृत्यु होने के उपरांत स्वयं तथा प्रतिवादी को अपने पिता से उत्तराधिकार में मिले वादग्रस्त भूमि के आधे-आधे भागों का बटवारा वादीगण और प्रतिवादीगण के अंश भाग को स्थापित करने हेतु किया जाना प्रकट ही नहीं किया है वहां वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच पर संयुक्त स्वामी नाते वादी का भी आधिपत्य होना उस दशा में माना जायेगा जहां कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का भौतिक नियंत्रण द्वारा आधिपत्य होने के तथ्य को प्रमाणित करने हेतु मात्र मौखिक साक्ष्य ही प्रस्तुत की है, किन्तु इस तथ्य को प्रमाणित करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है कि बटवारा हो जाने के उपरांत वादी और प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर अलग-अलग काबिज हुए और खेती करने लगे इसके पश्चात् प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर आधिपत्य प्राप्त किया है।

37. विधि शास्त्र की अवधारणा अनुसार कब्जे की अवधारणा में दो तत्व समाहित माने गये हैं—

1. **कार्पस :-** अर्थात् धारण किये रहने की इच्छा शक्ति :- यह तत्व लिखित रूप में दस्तावेजों में विद्यमान तत्व होता है, जो किसी व्यक्ति को स्थावर संपत्ति का वैध रूप से धारित करने वाला व्यक्ति चिन्हित करता है। अभिलेख पर विद्यमान राजस्व दस्तावेजों में पूर्ववर्ती राजस्व दस्तावेज वादी का नाम तथा पश्चातवर्ती दस्तावेज प्रतिवादीगण का नाम स्वयं में समाहित करते हैं। अर्थात् वादग्रस्त स्थावर संपत्ति को धारित किये रहने की इच्छा शक्ति वादी तथा प्रतिवादी दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में कार्पस के रूप में अभिलेख से प्रकट होती है।

2. **एनीमस :-** अर्थात् भौतिक नियंत्रण द्वारा आधिपत्य — उक्त तथ्य के संबंध में न तो वादी ने और न ही प्रतिवादी ने किसी कृषि उपज मंडी की कोई रसीद, अथवा सिंचाई प्रयोजन से लगाये गये विद्युत मीटर के संबंध में बिजली का कोई बिल अथवा कोई आड़तिये की कोई रसीद अथवा कोई अभिकथन अथवा कृषि बीज या दवाई को खरीदने की कोई रसीद अथवा वादग्रस्त भूमि को कृषि हेतु तैयार करने के प्रयोजन से उसे जुतवाने, हकवाने हेतु किसी ट्रैक्टर के ड्रायवर या हल बैल द्वारा करवाये जाने पर

उस व्यक्ति के अभिकथन जिसने वादग्रस्त भूमि को हांका या जोता है, या स्वयं द्वारा कृषि करने पर उपरिवर्णित बिल या उससे संबद्ध किसी व्यक्ति के ऐसे कोई अभिकथन, कि उन्होंने कोई कृषि उपज वादी अथवा प्रतिवादीगण से खरीदी है या उन्होंने कोई बिजली बिल सिंचाई प्रयोजन से भरा है या आड़तिये को अपनी कृषि उपज बेची है या उन्होंने किसी दुकान से कृषि हेतु बीज या दवाई खरीदी है, प्रस्तुत ही नहीं किये हैं, वहां वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी तथा प्रतिवादीगण के एनीमस द्वारा आधिपत्य का तथ्य गौण होकर कार्पस द्वारा आधिपत्यधारी होने का तत्व प्रबल हो जाता है और कार्पस का तत्व और अधिक शक्ति इस तथ्य से भी प्रकट करता है कि उभयपक्ष के मध्य कोई विभाजन या बटवारा होना प्रतिवादीगण ने दर्शित ही नहीं किया है, जिसके आधार पर उनका वादी की भूमि पर आधिपत्य हो न ही प्रतिवादीगण ने हक त्यजन के संबंध में वादी द्वारा निष्पादित किसी रजिस्टर्ड विलेख को या वादग्रस्त भूमि पर अपने आधिपत्य के सम्पार्श्विक प्रयोजन को प्रमाणित करने हेतु किसी अरजिस्टर्ड विलेख को अभिलेख पर प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत ही नहीं किया है।

38. जहां कार्पस द्वारा वादी का वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इंच पर सह स्वामी नाते विभाजन के अभाव में आधिपत्य है, वहां वादी को कब्जा वापसी की सहायता अपने वादपत्र में अभिवाचित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रही है। अस्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने वादी को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्यधारी प्रमाणित मानने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अस्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 4 का निराकरण वादी के हित में किये जाने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है।

39. जहां तक प्रस्तुत वाद के अवधि बाह्य होने के तथ्य का प्रश्न है ? वादी तोफान सिंह के अभिकथनानुसार लगभग पौने दो वर्ष पूर्व जब वह ग्राम मनहारी की भूमि पर था तब प्रतिवादीगण ने उससे कहा कि वादग्रस्त भूमि के वे मालिक हो गये थे तो उसके पश्चात् दूसरे दिन ही उसने चंदेरी तहसील में कम्प्यूटर की नकल निकलवाई तब उसे ज्ञात हुआ कि भूमि पर उसका नाम अंकित नहीं है और प्रतिवादीगण ने अपने नाम पर उसका हिस्सा करवा लिया है। यह हिस्सा कैसे और कब करवाया इसकी उसे जानकारी नहीं है।

40. यद्यपि वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादीगण को ठेके पर देते रहने का अभिकथन अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 11 में वादी तोफान सिंह कथित कर कंडिका 12 में यह स्वीकार करता है कि वर्ष 1991 से लेकर दावा करने के पहले प्रतिवादीगण के खेती करने पर कोई आपत्ति नहीं की। उक्त तथ्य प्रतिवादीगण के आधिपत्य से संबंधित तथ्य है। प्रतिवादी दिलीप प्रति.सा.1 वादग्रस्त भूमि का हक त्याग वादी द्वारा प्रतिवादीगण के हित में करना अपने कथन में प्रकट करता है किन्तु उक्त हक त्याग विधिवत होने के तथ्य को प्रतिवादीगण द्वारा पूर्ववर्ती विवेचना अनुसार प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम नामांतरण की

किस प्रक्रिया द्वारा राजस्व दस्तावेजों में अभिलिखित हो गया, इस तथ्य को प्रकट करने का भार स्वयं प्रतिवादीगण पर ही है, क्योंकि अवधि का प्रश्न भी प्रतिवादीगण ने ही अपने जवाबदावे में उठाया है।

41. नामांतरण की प्रक्रिया **मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान** से शासित होकर या तो सहमति से बटवारे के रूप में विभाजन होने पर नामांतरण होता है या राजस्व प्रकरण कायम कर उभयपक्ष को सूचना उपरांत एवं उनकी आपत्तियां सुनने के उपरांत नामांतरण होता है, किन्तु प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वर्ष 1991 में या उसके पश्चात् उन्होंने वादग्रस्त भूमि के संबंध में नामांतरण की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में की, जिसमें वादी को भी नोटिस हुआ और वह नोटिस वादी को तामील होकर उसे नामांतरण की जानकारी तत्समय ही हो गयी थी। ऐसी स्थिति में वादी के अभिवचन प्रतिवादी के अभिकथन के प्रतिप्रेक्ष्य में अधिक दृढ़ एवं प्रबल होकर उसे प्रतिवादीगण के नामांतरण की जानकारी वादी द्वारा अभिलिखित समय पर ही होना प्रकट होता है।

42. न्याय दृष्टांत **खत्री होटल्स (प्रायवेट) लिमिटेड और अन्य बनाम युनियन आफ इंडिया और अन्य (2011)9 एस.सी.सी. 126 में परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 एवं परिशिष्ट अनुच्छेद 58** के तारतम्य में घोषणा स्थाई व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परिसीमा हेतु समय पर चलना कब प्रारंभ होगा, इस तथ्य को दिशा-निर्देशित कर मार्गदर्शक विधि अभिकथित की गयी है कि यदि एक वाद एक से अधिक वाद कारणों पर आधारित है तो वाद प्रस्तुत करने का अधिकार जब सर्व प्रथम उद्भूत हुआ है, वहां से अवधि का चलना प्रारंभ होगा अधिकारों का पश्चातवर्ती भंग किया जाना नया वाद कारण पैदा नहीं करता।

43. वादी के अभिकथनानुसार जहां उसे वाद कारण दिनांक 27.11.13 को वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का नाम अंकित होने के बाबत जानकारी होने पर उत्पन्न हुआ है, और जहां कि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर उन्हें वादी के हिस्से की भूमि में भी स्वत्व प्राप्त होने हेतु किसी वैध दस्तावेज को अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है और जहां कि प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को भी अभिलेख पर प्रकट नहीं किया है कि उन्होंने नामांतरण बाबत राजस्व न्यायालय में कार्यवाही की तो वादी को उस न्यायालय का नोटिस तामील होने के उपरांत नामांतरण प्रतिवादीगण के पक्ष में होने की जानकारी वादी को तभी से हो गयी थी, वहां ऐसी स्थिति वादी के अभिवचन एवं अभिकथन के आधार पर उसे वाद कारण दिनांक 27.11.13 को उसका वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व दस्तावेजों में नहीं होने की जानकारी होने के दिनांक से ही अवधि का चलना प्रारंभ माना जायेगा और इस अवधि के तीन वर्ष के अंदर ही जहां वादी ने विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया है, वहां वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य होना नहीं कहा जा सकता।

44. उपर्युक्त समस्त परिस्थितियों में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत के आलोक में यह न्याय दृष्टांत वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों पर आधारित होने से उन्हें इसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

**अवधारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :-**

45. उपरिलिखित संपूर्ण विवेचना उपरांत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.02.17 को पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होने से अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से नामंजूर की जाती है अस्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.02.17 की पुष्टि की जाती है।

46. अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण स्वयं का अपील व्यय वहन करते हुए प्रत्यर्थी/वादी का वाद व्यय भी वहन करेंगे।

47. इस अपील हेतु अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर, अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो आंकलित किया जावेगा।

48. उक्तानुसार अपील डिक्री की रचना की जावे।

49. तदनुसार अपील निराकृत की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित, एवं घोषित गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया  
गया।

(सैफी दाऊदी)  
प्र.अ. जिला न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश,  
अशोकनगर (म.प्र.)  
दिनांक— 23.11.17

(सैफी दाऊदी)  
प्र.अ. जिला न्यायाधीश अशोकनगर  
के न्यायालय के अति. न्यायाधीश  
अशोकनगर (म.प्र.)